

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—2

लखनऊ : दिनांक : 08 सितम्बर, 2010

विषय:- वेतन समिति (2008) के पत्र दिनांक 22 जनवरी, 2010 द्वारा राजकीय विभागों के सचिवालय से इतर लिपिकीय संवर्ग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है वेतन समिति द्वारा राजकीय विभागों के सचिवालय से इतर लिपिकीय संवर्ग के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 22 जनवरी, 2010 द्वारा दी गयी संस्तुतियों को निम्नानुसार स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है :—

- (1) कनिष्ठ लिपिक/टंकक के पदों को संविलीन करते हुए कनिष्ठ सहायक पदनाम से पद रखे जाय। इन पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य हो रहे वेतन बैण्ड—1 रु0 5200—20200 एवं ग्रेड वेतन रु0 1900 को यथावत् बनाये रखा जाय। भविष्य में इन पदों पर भर्ती हेतु न्यूनतम् अर्हता इण्टरमीडिएट के साथ—साथ कम्प्यूटर संचालन का डोयक (DUEACC) सोसायटी द्वारा प्रदत्त “सी0सी0सी0” प्रमाण पत्र तथा हिन्दी/अंग्रेजी में कम से कम कमशः 25/30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति निर्धारित की जाय।
- (2) वर्तमान में लिपिकीय संवर्ग के विभिन्न पदों, विशिष्ट रूप से कनिष्ठ लिपिक/टंकक पदों, के सापेक्ष तैनात कार्मिकों को वर्तमान परिवेश में उपयोगी बनाये जाने के उद्देश्य से समयबद्ध रूप से कम्प्यूटर संचालन में दक्षता प्राप्त करने हेतु सेवा कालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय।
- (3) लिपिकीय संवर्ग में वर्तमान में विद्यमान वरिष्ठ लिपिक (वेतनमान रु0 4000—6000) तथा वरिष्ठ सहायक (वेतनमान रु0 4500—7000) के पदों को संविलीन करते हुए वरिष्ठ सहायक पदनाम तथा वेतनमान रु0 4500—7000 का पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड रु0 5200—20200 एवं ग्रेड वेतन रु0 2800 अनुमन्य किया जाय। वरिष्ठ

सहायक के इन पदों को 05 वर्ष की सेवा वाले कनिष्ठ सहायक के पदों से शत-प्रतिशत पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने की व्यवस्था रखी जाय।

- (4) कार्यालय अधीक्षक वेतनमान ₹0 5000–8000, प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान ₹0 5500–9000 तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान ₹0 6500–10500 के पदों को संविलीन करते हुए प्रभारी अधिकारी (कार्यालय) पदनाम तथा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड ₹0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन ₹0 4200 अनुमन्य किया जाय। इन पदों पर भर्ती 10 वर्ष की सेवा वाले वरिष्ठ सहायक के पदधारकों से पदोन्नति द्वारा किये जाने की व्यवस्था की जाय।
- (5) कलेकट्रेट, मण्डलायुक्त कार्यालय तथा प्रदेश के ऐसे विभाग जिनमें विभागाध्यक्ष के पद वेतनमान ₹0 22400–24500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-4 ₹0 37400–67000 एवं ग्रेड वेतन ₹0 12000) के स्तर के प्राविधानित हैं, वहाँ लिपिकीय संवर्ग में ₹0 7450–11500 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड ₹0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन ₹0 4600 में वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी (कार्यालय) पदनाम से पद रखा जाय। इस पद को 03 वर्ष की सेवा वाले प्रभारी अधिकारी (कार्यालय) के पदधारकों से पदोन्नति कर भरे जाने की व्यवस्था की जाय।
- (6) प्रदेश में सचिवालय से इतर विभागों के लिपिकीय संवर्ग के पदों के पदनाम, वेतनमान, संवर्गीय ढाँचा उ0प्र0 सचिवालय के समान रखे जाने की माँग स्वीकार योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त इस संवर्ग के पदों की समकक्षता केन्द्र सरकार के लिपिकीय संवर्ग से स्थापित न होने के दृष्टिगत केन्द्र सरकार के समान वेतनमान व संवर्गीय ढाँचा रखे जाने का औचित्य नहीं है।
- (7) विभिन्न राजकीय विभागों/कार्यालयों में लिपिकीय संवर्ग के पदों के वर्तमान ढाँचों में एकरूपता एवं समान पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिकोण से इन पदों की कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत विद्यमान इन्स्पेक्टर आफ आफिस के सहयोग से लिपिकीय संवर्ग के पदों का पुनर्गठन कराये जाने की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाय।
- (8) विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, स्वशासी संस्थाओं, रथानीय निकायों, जल संस्थानों तथा विकास प्राधिकरणों आदि में विद्यमान लिपिकीय संवर्ग के पदों के सम्बन्ध में संस्तुतियों उक्त संस्थाओं हेतु दी जाने वाली पदवार/संवर्गवार संस्तुतियों के साथ दी जायेंगी।

2— कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव, वित्त।

संख्या—वे0आ0—2—2053(1) / दस—54(एम) / 2008टी0सी0. तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- (1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—1
- (2) निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेब साइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।